कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक

नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009.

दूरभाष : 040-27843385 **फैक्स : 040-27817275**

परिपत्र

सं.प्रशा/ I/1094/2015/संघ/पत्राचार दिनांक : 16.03.2015

सेवा में,
र.ले.नि., आई.टी.एस.डी.सी., सिकंदराबाद
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग,
सिकंदराबाद/हैदराबाद के सभी अधीनस्थ कार्यालय
(ई.एम.ई., से.आ.कोर तथा वैज़ाग स्थित कार्यालयों के अलावा)

विषय : चेक ऑफ पद्धति के अधीन कर्मचारी संघ की सदस्यता का सत्यापन ।

*****

विद्यमान आदेशों के अनुसार, जो कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य बनना चाहते है वे संघ में शामिल होने तथा सदस्यता अभिदान की कटौती के लिए, चेक ऑफ पद्धति के अधीन अपना सहमति पत्र, विहित प्रपत्र में, अप्रैल के महीने में दे सकते है । उसी प्रकार, जो कर्मचारी पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं वे केवल अप्रैल के महीने में अपनी सदस्यता के आहरण अथवा सदस्यता को बदलने का विकल्प दे सकते हैं । इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक अनुदेशों को जारी किया जाता है :-

1. श्री जी. रमेश कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी को विकल्प के प्रयोग की प्रणाली के लिए नामांकित किया गया है ।

2. उपरोक्त नामांकित अधिकारी से विहित प्रपत्र प्राप्त करके प्रत्येक कर्मचारी को किसी सेवा संघ का सदस्य बनने के लिए अपना सहमति-पत्र देना होगा ।

3. उपरोक्त विकल्प का प्रयोग अप्रैल के महीने में ही दिनांक 30 अप्रैल 2015 से पूर्व किया जाना अनिवार्य है तथा विहित प्रपत्र में प्राधिकरण पत्र, पूरी तरह भरकर, उपरोक्त नामांकित अधिकारी को दि. 30.04.2015 तक प्रस्तुत कर दिया जाना अनिवार्य है ।

4. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प आने वाले सभी वर्षो के लिए वैध माना जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी उसे आहरित अथवा बदल न दे ।

5. नामांकित अधिकारी द्वारा जारी किया गया क्रम सं. से मुद्रित विकल्प पत्र प्रत्येक कर्मचारी द्वारा मुद्रित विकल्प पत्र प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए तथा फार्म में कोई कटाई/छँटाई नहीं की जानी चाहिए ।

6. कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित क्रम सं. से मुद्रित विकल्प पत्र पर संबंधित संघ के प्राधिकृत अधिकारी का सत्यापन आवश्यक है ।

7. क्रम सं. से मुद्रित विकल्प पत्रों को आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराने के लिए नामांकित अधिकारी को कर्मचारी संघ द्वारा विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों के नामों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

8. नामांकित अधिकारी का निर्णय संघ के लिए मान्य होगा जब तक कोई बड़ी असहमति पैदा न हो ।

जारी है....2..

सभी अनुभागों के सहायक लेखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के अंशों को उनके अधीन सेवारत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं तथा इस परिपत्र के अंशों को नोट करवाकर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त करें और अपने पास अभिलेख में रखें ।

इस संबंध में अनुपालन की पुष्टि दिनांक 25.03.2015 तक प्रस्तुत करें ।

परिपत्र की पावती दें ।

(जी. रमेश कुमार)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी [प्रशा0]

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव
   अ.भा.र.ले.का.स [सी.बी., पुणे]
   शाखा मुख्य कार्यालय [स्थानीय]
   सिकंदराबाद

2. मुख्य सचिव
   अ.भा.र.ले.स, कोलकता शाखा
   वे.ले.का. (अ.श्रे) से.आ.कोर
   सिकंदराबाद

फार्मों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए आपसे अनुरोध है कि जिन कर्मचारियों द्वारा विकल्प दिया जाएगा उनकी सूची नामांकित अधिकारी को दिनांक 25.03.2015 तक प्रस्तुत करने का कष्टकरें ।

(जी. रमेश कुमार)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी [प्रशा0]